भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न संख्या: 25

सोमवार, 25 नवम्बर, 2024 (4 अग्रहायण, 1946 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

विमात्पतनों के विकास और आधुनिकीकरण पर पूंजीगत व्यय

25. श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत विमानपत्तनों के विकास, उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए आवंटित 91,000 करोड़ रुपये से अधिक के कुल पूंजीगत व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) वित्त वर्ष 2019-20 से आज तक की तिथि के अनुसार आवंटित, स्वीकृत और उपयोग किए गए ऐसे पूंजीगत व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन विमानपत्तनों का ब्यौरा जहां ऐसी धनराशि खर्च की गई है, साथ ही परियोजनाओं के प्रकार, पूरा होने की समयसीमा आदि सहित शुरू की गई परियोजनाओं का राज्य-वार और विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने निधियों के कुशल उपयोग और ऐसी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

<u>नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)</u>

(क) से (ग): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) सहित हवाईअड्डा प्रचालकों/विकासकर्ताओं ने हवाई यातायात/यात्रियों की वृद्धि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश में विभिन्न हवाईअड्डों के विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान 91,000 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) योजना शुरू की है, जिसमें नए हवाईअड्डे, मौजूदा टर्मिनलों का विस्तार/संशोधन, नई यात्री सुविधाएं शामिल करना, नए टर्मिनल, मौजूदा रनवे, एप्रन का विस्तार/सुदृढ़ीकरण, नियंत्रण टावर, तकनीकी ब्लॉक आदि जैसे एयर नेविगेशन सेवाएं (एएनएस) कार्य शामिल हैं।

इसमें एएआई की हिस्सेदारी 25,000 करोड़ रुपए से अधिक तथा शेष निजी हवाईअड्डा प्रचालकों/विकासकर्ता की हिस्सेदारी सम्मिलित हैं। एएआई मुख्य रूप से अपने स्वयं के संसाधनों से और कुछ भाग में बजटीय अनुदान से यथा (क) क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान) के चरण I के तहत अपरिचालित और अल्पपरिचालित हवाईअड्डों/ हेलीपोर्टों/वाटर एरोड्रमों के पुनरुद्धार/उन्नयन के लिए आवंटित 4500 करोड़ रुपये और (ख) वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के दौरान अतिरिक्त हवाईअड्डों, हेलीपोर्टों, वाटर एरोड्रमों

और उन्नत लैंडिंग ग्राउंड के पुनरुद्धार के लिए आरसीएस-उड़ान के चरण- II में 1000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है।

निजी हवाईअड्डा प्रचालक/विकासकर्ता अपने स्वयं के स्रोतों से पूंजी व्यय करते हैं।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान, एएआई और निजी हवाईअड्डा प्रचालकों/विकासकर्ताओं द्वारा पूंजीगत व्यय लगभग 13415 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2019-20), 11715 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2020-21), 12216 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2021-22), 16630 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022-23) और 18148 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2023-24) किया गया है।

हवाईअड्डों का उन्नयन/आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और अन्य हवाईअड्डा प्रचालकों/विकासकर्ताओं द्वारा समय-समय पर भूमि की उपलब्धता,वाणिज्यिक व्यवहार्यता, सामाजिक-आर्थिक विचारों, यातायात की मांग/एयरलाइनों की ऐसे हवाईअड्डों से परिचालन करने की इच्छा के आधार पर किया जाता है। वित्त वर्ष 2019-20 से, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, अहमदाबाद, मोपा, नवी मुंबई, नोएडा (जेवर), भोगपुरम, अयोध्या, कुशीनगर, सिंधुदुर्ग, होलोंगी, धोलेरा, देहरादून, अगरतला, पटना, विजयवाड़ा, देवघर, अमृतसर, चेन्नई, तिरूपति, मैंगलोर, कोलकाता,पोर्ट ब्लेयर, सूरत, तिरुचिरापल्ली, कोल्हापुर, जबलपुर, ग्वालियर, राजकोट, लेह, हुबली, इम्फाल, जोधपुर, उदयपुर, राजमुंदरी, बेलगावी, शिवमोग्गा, विजयपुरा, हसन, प्रयागराज आदि सहित देश के कई हवाईअड्डों पर एएआई और निजी हवाईअड्डा प्रचालकों/विकासकर्ताओं द्वारा हवाईअड्डा परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

हवाईअड्डा परियोजनाओं के निर्माण की समय-सीमा कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य मंजूरी की उपलब्धता, परियोजना प्रस्तावकों द्वारा वित्तीय समापन आदि।

(घ): नागर विमानन मंत्रालय हवाईअड्डा परियोजनाओं का समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों, हवाईअड्डा विकासकर्ता और अन्य हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित करके हवाईअड्डा परियोजनाओं की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करता है। एएआई भी अपनी परियोजनाओं की आंतरिक समीक्षा करता है।
